ग्राम पंचायत सूनपुर (पंतेहड़), विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

1. (क) प्रस्तावना :—

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सूनपुर (पंतेहड़) विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :—

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति स्वर्णा देवी	1.4.2013 से 22.1.2016
2.	श्रीमति सुषमा देवी	23.1.2016 से लगातार

सचिव :—

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति समन्जु कुमारी	1.4.2013 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत सूनपुर (पंतेहड़) के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	4.2	रोकड़ वही व बैंक खाते में अन्तर	2.00
2.	5	पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली न करना	0.22
3.	6	अनुदानों का उपयोग न करना	5.55

4.	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक, स्टोर का क्रय करना	4.01
5.	9	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	3.75
6.	10	निर्माण कार्य खुरली में अनुचित भुगतान	0.10
7.	11	राशि का संभावित दुरूपयोग	0.06

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :—

ग्राम पंचायत सूनपुर (पंतेहड़), विकास विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 19.8.2016 से 23.8.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2013—14	2/2014	2/2014
2014—15	2/2015	11/2014
2015—16	10/2015	1/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :—

ग्राम पंचायत सूनपुर (पंतेहड़), विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) शिमला—09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 194, दिनांक 23.8.2016 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या : (KCCB) 941069, दिनांक 24.8.2016

द्वारा अंकेक्षण शुल्क निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) शिमला–171009 को प्रेषित किया गया।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत सूनपुर (पंतेहड़) द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत सूनपुर (पंतेहड़) के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	16763	18262	35025	29527	5498
2014–15	5498	47813	53311	11184	42127
2015–16	42127	8520	50647	11489	39158

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत सूनपुर (पंतेहड़) के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1"** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	451573	2052155	2503728	2028130	475598
2014–15	475598	2115099	2590697	1771309	819388
2015–16	819388	1312586	2131974	1576806	555168

4. 1 बैंक समाधान विवरणी :–

<u>स्वः स्त्रोत :–</u>		
दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष		:₹39158
<u>अनुदान :–</u>		
दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष		₹555168
	योग	**₹594326**
दिनांक 31.3.2016 को बैंक खातों में शेष		₹394522.50
हस्तगत राशि		₹292
अन्तर की राशि		₹199511

बैंक खाता संख्या	राशि
MNREGA, HGB–1075	0
13th F.C.-KCCB–73606	1103.00
13th F.C. ZP-KCCB–73651	92782.00
General, Own Source, KCCB–5388	71.46
General, Own Source, KCCB–27608	333.85
कुल राशि	**₹394522.50**

4.2 रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹199511 के अन्तर बारे :–

(क) जांच में पाया कि पंचायत में General Grant, Own Source Income, VKNY, MP, 13th FC, SDP, एवं SBM में प्राप्त आय व अनुदान को खाता संख्या : KCCB–05388, KCCB–73606, KCCB–73651, व KCCB–27608, में जमा करवाया गया था, लेकिन समय–समय पर नियमानुसार रोकड़ वही का मिलान बैंक शेष से नहीं किया गया था, जिस कारण दिनांक 31.3.2016 को ₹10374 का अन्तर पाया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वही का शेष :	**दिनांक 31.3.2016 को बैंक में शेष :**
VKNY, MP, 13th FC, SDP, एवं SBM, ₹366031.16	13th FC-KCCB-73606 ₹25409.00
Own Source, ₹39157.76	13th FC ZP-KCCB-73651 ₹79376.00
	General, Own Source, KCCB-5388 ₹146728.50
	General, Own Source, KCCB-27608 ₹143009.00
	Cash in Hand ₹292.00
Total **₹405188.92**	**₹394814.50**

अतः उक्त अन्तर की राशि ₹10374 बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें व अनुपालना से अवगत करवाएं।

(ख) जांच में पाया कि पंचायत में मनरेगा के खाता संख्या : HGB–1075 में दिनांक 31.3.2016 को जमा राशि शून्य थी, जबकि रोकड़ वही की प्रविष्टियों के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अन्तिम शेष ₹189137 था। अतः बैंक में कम जमा राशि ₹189137 बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

4.3 रोकड़ वही बैंक खातों से मिलान न करना :–

ग्राम पंचायत सूनपुर (पंतेहड़) की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.4 रोकड़ वही का निर्माण नियमानुसार न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्याः 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्याः 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. पंचायत राजस्व ₹0.22 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर की मांग अवधि 1.4.2009 से 31.3.2016 तक नहीं की गई थी, जोकि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है, क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है एवं इससे पंचायत को ब्याज के रूप में भी हानि हुई तथा पंचायत के विकास कार्य भी अवरूद्ध रहे। अतः गृहकर की मांग नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने एवं गृहकर का रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य

स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग करना सुनिश्चित करतें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹22150 की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :–

वर्ष	अथशेष	मंग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	3520	17550	21070	3520	17550
2014–15	17550	17550	35100	22080	13020
2015–16	13020	17550	30570	8520	22050

2. जांच में पाया कि रसीद संख्याः 0538024 एवं 0538025, दिनांक 15.1.2015 द्वारा गृहकर के रूप में ₹100 की वसूली की गई थी, लेकिन यह राशि पंचायत के खाते में जमा नहीं की गई थी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत के निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

3. **भू–राजस्व की वसूली न करना :–**

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2014–15 एवं 2015–16 में भू–राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अतः नियमानुसार भू–राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ–साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें।

6. अनुदान ₹5.55 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1"** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹555168 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कर्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट—2 में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे, जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.01 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) व 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं (निविदाएं इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट—'3"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹401491 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. ₹3.75 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण सम्बन्धित औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों की जांच में पाया गया कि परिशिष्ट—4 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹375291 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को

स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

10. निर्माण कार्य खुरली (धर्म चन्द) में ₹0.10 लाख का अनुचित भुगतान :–

वाउचर संख्या : 102, दिनांक 9.10.2013 की जांच में पाया कि कार्य 'नि0 खुरली धर्म चन्द" का मूल्यांकन माप पुस्तिका 6372 के पृष्ठ 63 से 66 ₹15092 किया गया था, जबकि उक्त कार्य के लिए निम्न विवरणानुसार सामग्री की आपूर्ति एवं मजदूरी के एवज में ₹25200 का भुगतान किया गया था।

भुगतान का विवरण	प्रस्ताव सं0	राशि
चैक संख्याः 570827, दिनांक 8.1.13 (मजदूरी)	प्रस्ताव संख्याः 7, माह 10/13	7200
चैक संख्याः 570827, दिनांक 8.1.13 (मजदूरी) बिल संख्याः 009, दिनांक M/s Ajit Kumar, Baijnath (निर्माण सामग्री)	प्रस्ताव संख्याः 12, माह 10/13	18000

अतः मूल्यांकन से अधिक ₹10108 (₹25200–₹15092) का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. संदिग्ध दुर्विनियोजन ₹0.06 लाख :–

मनरेगा से अंकेक्षण अवधि में किए गए व्ययों की जांच में पाया कि दिनांक 12.2.2014 को बैंक से चैक संख्याः 102228 द्वारा ₹5550 की राशि आहरित की गई थी, लेकिन जांच में पाया कि रोकड़ वही में इसकी प्रविष्टि नहीं की गई थी और न ही इसके व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए गए, जिससे प्रतीत होता है कि वह राशि को आहरित करके इसका दुर्विनियोजन किया गया था। अतः इस राशि को आहरित करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹5550 की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत के सम्बन्धित खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

12. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित था, लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों

का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	**रजिस्टर / अभिलेख**	**फार्म सं0**	**संदर्भित नियम**
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	–	103
4.	मासिक समाधान विवरणी	–	15(1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8.	डाक रजिस्टर	24	61(2)
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10.	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

13. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14. **लघु आपत्ति विवरणिका :–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया व लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया है।

15. **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(2)26 / 2016, खण्ड–1–5754–5758 दिनांकः 05. 11.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत सूनपुर (पंतेहड़), विकास खण्ड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0 प्र0.
5. वरिष्ठ महालेखाकार (स्थानीय निकाय) कार्यालय प्रधान महालेखाकार हि0प्र0 शिमला–3.

हस्ता / –
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.